भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 23 (वाणिज्यिक)

CAG
351.72322R
N5;2

प्राकृतिक गैस द्रव के निर्यात और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात

के लिए एकल नौबंध बांध प्लव संकेतक

(आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड)

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 23 (वाणिज्यिक)

प्राकृतिक गैस द्रव के निर्यात और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात

के लिए एकल नौबंध बांध प्लव संकेतक

(आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड)

CA G
351.72232.R
N5j2

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
Acc. No. RC 95135 (3)
Date 13/9/96

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	विहंगावलोकन	iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	ठेका दिया जाना	3
3.	एल.पी.जी. के आयात के लिए सुविधा	6
4.	गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की भूमिका	8
5.	ठेका का समापन	9
6.	परियोजना का परित्याग	11
7.	एन जी एल के परिवहन पर व्यय	14
8.	प्रबन्धन/ मंत्रालय का उत्तर	15
9.	दीर्घ कालिक प्रभाव	17
10.	संक्षेपण	19
	अनुबन्ध I एस बी एम पर व्यय का विवरण	
	अनुबन्ध II हाजिरा से कांडला तक एन जी एल के परिवहन पर परिहार्य व्यय	

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार 1995 की सं. 1 (वाणिज्यिक) में प्रस्तावनात्मक टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कम्पनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अलग-अलग रिपोर्टों में प्रस्तुत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में प्राकृतिक गैस द्रव के निर्यात और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड की एकल नौबंध बांध प्लव संकेतक (एस बी एम) परियोजना की समीक्षा शामिल की गई है।

विहंगावलोकन

I. हाजिरा में स्थित संयन्त्र पर उत्पादित प्राकृतिक गैस द्रव (एन जी एल) के निर्यात के लिए 27.42 करोड़ रु. की लागत पर हाजिरा तट से दूर एकल नौबंध बांध प्लव संकेतक (एस बी एम)स्थापित करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का प्रस्ताव (जनवरी 1985) पब्लिक निवेश बोर्ड द्वारा मई 1986 में अनुमोदित किया गया। एस बी एम नवम्बर 1988 तक प्रतिष्ठापित किया जाना था।

(पैरा 1.4)

II. आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने तकनीकी बोली खोलने की तारीख से ठेका पंचाट की तारीख तक ढाई बर्षो का समय लिया। निविदा को अन्तिम रुप देने में अनावश्यक विलम्ब के कारण पूरा करने की विहित तारीख एक वर्ष और एक महीने बढ़कर दिसम्बर 1989 हो गई।

(पैरा 2.4)

III. यद्यपि तेल उद्योग एल पी जी के लिए आयात सुविधाएं जो पूर्णतः अपर्याप्त थी, बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगा रहा था, प्रस्तावित एस बी. एम के माध्यम से एल पी जी के भी आयात की संभावना पर आरंभिक डिजाइन की अवस्था पर विचार नहीं किया गया।

(पैरा 3.2)

IV. जुलाई 1987 के आरम्भ में ही ऐसी एस. बी. एम सुविधाएं जिससे कि यह इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए एल.पी.जी का आयात भी कर सकता, उत्पन्न करने की आवश्यकता महसूस किए जाने के बाद भी सितम्बर 1988 में ठेकेदार को आशय पत्र देने से पहले डिजाइन में इस आवश्यकता को शामिल करने के लिए तत्परता से कारवाई नहीं की गई। इंडियन आयल कारपोरेशन की आवश्यकता शामिल करने के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के कारण एस बी एम के पूरा होने की तारीख और बढ़कर मई 1990 हो गई।

(पैरा 3.3 व 3.4)

V. जब एस बी एम की अधिप्राप्ति और पाइपों, तट पर पाइप लाइन बिछाने आदि के काम सहित पर्याप्त कार्य पहले ही पूरा हो गया था तो अक्तूबर 1989 में गुजरात मैरिटाइम बोर्ड ने पनडुब्बी पाइप लाइन बिछाने से संबंधित कार्य को रोकने के लिए कहा और अनेक अतिरिक्त शर्तें लगा दीं जो अप्रैल 1987 में जी एम बी द्वारा आरंभ में परियोजना के अनुमोदन के समय नहीं थी।

(पैरा 4.1)

VI. जी एम बी की शर्तों से उत्पन्न अतिरिक्त कार्य/आशोधनों को करने के लिए ठेकेदार ने 23.19

करोड़ रु. अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की मांग की (जुलाई 1990)। किन्तु आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किए बिना जनवरी 1991 में ठेका समाप्त कर दिया जिनमें निर्यात के लिए कांडला पत्तन तक रेल/ सड़क द्वारा एन जी एल के संचलन पर तेल उद्योग द्वारा निरन्तर व्यय भी शामिल था। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने शेष कार्य को पूरा करने की लागत का अत्यन्त कम अनुमान भी लगाया। परियोजना के अंतिम लाभ भोगी आई ओ सी और ओ सी सी ठेका समाप्त करने के निर्णय में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के साथ नहीं थे।

(पैरा 5.1, 5.3, 5.4 व 5.5)

VII. एस बी एम परियोजना का अंततः मई 1993 में परित्याग कर दिया गया। इस परियोजना के परित्याग के परिणामस्वरुप पहले ही पूरा किए गए कार्य पर मार्च 1995 तक 38.88 करोड़ रु. का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त ही ठेकेदार ने 80 करोड़ रु. का अतिरिक्त दावा किया (मई1993 की विनिमय दर) जो पंच निर्णय के अधीन है।

(पैरा 6.6)

VIII. हजिरा में एस बी एम स्थापित न करने का तत्काल परिणाम यह हुआ कि निर्यात के लिए हजिरा से कांडला तक एन जी एल के परिवहन पर तेल उद्योग द्वारा अतिरिक्त व्यय हुआ। दिसम्बर1988 से जून 1995 के दौरान केवल इस मद पर 250.56 करोड़ रु. व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कांडला पत्तन के माध्यम से निर्यात के कारण पहले से ही तंग कांडला पत्तन में विद्यमान मार्ग अवरोध और बढ़ गया।

(पैरा 7.1)

IX. एस बी एम स्थापित न करने का दीर्घकालिक परिणाम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त सुविधा न होना है जो दिन प्रति दिन बदतर होता जा रहा है। यह वर्षानुवर्ष विलम्ब शुल्क के भुगतान में तीव्र वृद्धि से परिलक्षित होता है। केवल 1994-95 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विलम्ब शुल्क पर 209.95 करोड़ रु. व्यय किया गया।

(पैरा 9.1)

X. इसी बीच एक प्राइवेट पार्टी ने हजिरा में लगभग उसी स्थल पर एस बी एम की स्थापना की। एन जी एल के निर्यात और डीजल के आयात के लिए हजिरा में प्राइवेट पार्टी के एस बी एम का किराया पर उपयोग करने के आई.ओ.सी. के प्रस्ताव पर सरकार सिद्धान्त रुप से सहमत भी हो गई। यदि आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का एस बी एम हजिरा में प्रतिष्ठापित हो जाता तो सार्वजनिक क्षेत्र हाजिरा में निर्यात/आयात के लिए प्राइवेट पार्टी की सुविधाओं पर निर्भर रहने से बच जाता।

(पैरा 9.2)

1. **प्रस्तावना**

1.1 प्राकृतिक गैस द्रव (एन जी एल) हाइड्रो कार्बन कन्डेसेट को आसवन द्वारा अलग-अलग करने में निकला एक उप उत्पाद है जो प्राकृतिक गैस के साथ आता है। एन जी एल का अन्तिम प्रयोग नेफ्था के अनुरुप ही है और उर्वरक और पेट्रोरसायन यूनिटों तथा पावर जनन में भी इसका प्रयोग भरण स्टाक के रुप में किया जा सकता है।

1.2 बम्बई अपतट में दक्षिण बेसिन मुक्त गैस क्षेत्र का पता लगने (1976) के साथ ही आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एण्ड एन.जी.सी.लि.) ने प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के लिए इस गैस के संसाधन के लिए गुजरात में हाजिरा में सुविधाओं के सृजन का प्रस्ताव रखा। यह विहित था कि एन जी एल की पर्याप्त मात्रा कन्डेंसेट. के संसाधन के बाद उपलब्ध होगी। हजिरा में " गैस स्वीटनिंग, कन्डेसेट. उपचार और सल्फर रिकवरी संयन्त्र " के चरण । के लिए संभाव्यता रिपोर्ट दिसम्बर 1983 में तैयार की गई जिसमें अन्य के साथ- साथ 24.68 करोड़ रु.का पूंजी निवेश करके एक नोबंध बांध प्लन संकेतक (एस बी एम) अप हजिरा तट स्थापित करके निर्यात के माध्यम से एन जी एल के निपटान की सिफारिश की गई थी। तथापि चरण । में प्रस्तावित सुविधाओं की निकासी के समय एन जी एल के निर्यात के लिए एस बी एम की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पब्लिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि एन जी एल के विपणन के लिए तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) द्वारा अध्ययन किया जा रहा था।

1.3 एन जी एल के निपटान का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1984 में ओ सी सी द्वारा गठित कार्यचालन ग्रुप ने सितम्बर 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस ग्रुप का मत था कि हजिरा में एन जी एल उच्च एरोमेटिक स्वरुप का था और इसका निर्यात किया जाना था क्योकि हजिरा क्षेत्र में उच्च एरोमेटिक एन जी एल के लिए अधिक उपभोक्ता नहीं थे। अतः कार्यचालन ग्रुप ने एन जी एम के निर्यात के लिए हजिरा में एस बी एम सुविधाएं तत्काल स्थापित करने की सिफारिश की।

1.4 इसी बीच हजिरा में "गैस स्वीटनिंग, कन्डेंसेट उपचार और सल्फर रिकवरी संयन्त्र" के चरण ॥ के लिए ते. और प्रा.गै.नि. के प्रस्ताव (जनवरी 1985) में एस बी एम सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव पुनः शामिल कर लिया गया। मई 1986 में पी आई बी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में 27.42 करोड़ रु. का निवेश

करके एस बी एम की स्थापना और समुद्र तट एवं अपतट दोनों पर संबंधित पाइप लाइन विछाने के काम को शामिल कर लिया गया। ये सुविधाएं नवम्बर 1988 तक प्रतिष्ठापित की जानी थी, पी आई बी ने भी पाया कि एन जी एल का निर्यात देशी बाजार में इसके विलयन तक 4-5 वर्षों के लिए एक अस्थायी चरण होगा। इस प्रकार एन जी एल के निर्यात को सुविधा जनक बनाने के लिए शीघ्र एस बी एम प्रतिष्ठापित किया जाना अति आवश्यक था।

2. ठेका दिया जाना

2.1 विश्व बैंक द्वारा एस बी एम परियोजना को अन्तिम रूप दिया जाना था। इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई.आई.एल.) परामर्शदाता था। नवम्बर 1985 में दो बोली प्रणाली में निविदाएं आमंत्रित की गई। चार पार्टियों, दो भारतीय (फर्म "क" और फर्म "ख") और दोविदेशी फर्मों से 20 फरवरी 1986 से पहले बोली प्राप्त हुई जो बोली प्राप्त करने की निर्धारित तारीख थी। दो बोली प्रणाली की बजाए दो चरणों पर बोली के लिए विश्व बैंक के सुझाव को ध्यान में रखते हुए कुछ पार्टियों को सूचीबद्ध करने के बाद कीमत की बोली प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दी गई। ई आई एल जिसने प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, ने दो विदेशी फर्मों और फर्म " क " को सूचीबद्ध किया (अगस्त 1986)। फर्म "ख" की बोली ई आई एल द्वारा इस आधार पर सूचीबद्ध नहीं की गई कि कार्य की अनके मदों में उनका अनुभव कम था। तथापि निविदा समिति ने दो विदेशी फर्मों और फर्म "ख" को सूचीबद्ध किया (अक्तूबर 1986) और फर्म "क" की बोली को इस आधार पर रद्द कर दिया कि (i) फर्म मात्र 6 फरवरी 1986 को निगमित हुई थी (निविदाएं आमंत्रित करने के बाद); (ii) उन्होने न तो विदेशी सहयोग करार प्रस्तुत किया जो सरकार के अनुमोदन के अनुसार उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना था (विदेशी सहयोगी उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हुए) और न हीं अपने विदेशी सहयोगी के साथ आन्तरिक करार प्रस्तुत किया, और (iii) उनके पास वित्तीय श्रमता और परियोजना प्रबन्ध में अनुभव का अभाव था। निविदा, समिति द्वारा सूचीबद्ध तीन निविदादाताओं को 13 जनवरी 1987 तक कीमत बोली के साथ विभिन्न तकनीकी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2.2 तीनों निविदादाताओं ने नियत तारीख से पहले कीमत की बोली प्रस्तुत कर दी। फर्म "क" जिसकी तकनीकी बोली सूचीबद्ध नहीं की गई थी, ने भी नियत तारीख से पहले कीमत की बोली प्रस्तुत की किन्तु उसकी कीमत की बोली खोली नहीं गई। चूंकि तीनों निविदादाताओं की कीमत की बोली (जिनकी निविदा खोली गई थी) अनेक मामलों में अपूर्ण पाई गई, तकनीकी रूप से सूचीबद्ध तीनों ही निविदादाताओं से कीमत की संशोधित बोली मांगने के लिए निविदा समिति ने सिफारिश की। फर्म "क" से प्राप्त एक अभिवेदन के आधार पर विश्व बैंक ने आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को कहा कि वह फर्म "क" को तकनीकी रूप से योग्य मान ले और सभी चार निविदादाताओं से कीमत की नई बोली प्राप्त कर ले। तदनुसार कीमत की नई बोली आमंत्रित की गई (अप्रैल 1987) और सभी चार निविदादाताओं द्वारा 28 मई 1987 को प्रस्तुत की गई।

2.3 फर्म "ख" जिसका प्रस्ताव 35.60 करोड़ रु.(उद्धृत 32.67 करोड़ रु.) न्यूनतम मूल्यांकित किया गया था, को ठेका देने की निविदा समिति की सिफारिश 29 जुलाई 1987 को स्टीयरिंग कमिटी द्वारा स्वीकार कर ली गई। तथापि स्टीयरिंग कमिटी ने निविदादाता के वैकल्पिक प्रस्ताव के अनुसार 32.32 करोड़ रु.(उद्दृत 29.40 करोड़ रु.) मूल्यांकित लागत पर फर्म "ख" को ठेका देना अनुमोदित कर दिया। यह मूल्यांकन साथ-साथ विश्व बैंक को भी भेजा गया। ते.और प्रा.गै.नि. द्वारा किए गए मूल्यांकन में फर्म "ख" द्वारा मांगी गई 3.25 करोड़ रु. संचलन फीस के उपचार के बारे में विश्व बैंक की अपनी सीमाएं थी। जबकि निविदा समिति ने 3.25 करोड़ रु. की राशि को अग्रिम भुगतान माना था और मूल्यांकन में इस राशि पर केवल ब्याज को शामिल किया था, विश्व बैंक ने फर्म "ख" द्वारा उद्दृत एक मुश्त मूल्य में संचलन फीस को शामिल करने के लिए ओ.एण्ड एन.जी.सी को कहा और यह कहा कि किसी अन्य अग्रिम भुगतान के जैसा इसे माना जाए। इस मामलों पर 15 और 28 अक्तूबर 1987 और 23 नवम्बर 1987 को स्टीयरिंग समिति में चर्चा की गई और पहले ही सिफारिश को दोहराया गया। किन्तु इस बार स्टीयरिंग समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधि स्टीयरिंग समिति के कार्यवृत्त के रिकार्ड से सहमत नहीं हुआ और स्टीयरिंग समिति बैठक पुन: 8 जनवरी 1988 को हुई और फर्म "क" को ठेका देने की सिफारिश की जिसका 28 मई 1987 का प्रस्ताव 37.53 करोड़ रु. (उद्दृत 31.53 करोड़ रु.)की लागत पर इस बार न्यूनतम पाया गया। फर्म "ख" की बोली जिसका मूल्यांकन पहले 35.60 करोड़ रु. किया गया था, अब संचलन फीस जोड़ने के बाद 38.85 करोड़ रु. मूल्यांकित की गई। तथापि, स्टीयरिंग समिति ने ते. और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा मूलत: प्राप्त दिनांक 13 जनवरी 1987 की दर पर फर्म "क" को ठेका देने की सिफारिश की जो फर्म "क" के 16 फरवरी 1987 के पत्र के अनुसार (13 जनवरी 1987की निविदा खोली नहीं गई) 28.15 करोड़ रु. था। चूंकि ओ.एण्ड एन्.जी.सी. के अध्यक्ष को यह स्वीकार्य नहीं था (विभिन्न अवसरों पर स्टीयरिंग समिति की विरोधी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यद्यपि वे एक ही कागजात के अधार पर थे) अत: सरकार ने इस निविदा को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखने के लिए ओ.एण्ड एन.जी.सी. को कहा और दोनों भारतीय फर्मो से नई निविदा आमंत्रित करने के लिए कहा। तदनुसार केवल दो भारतीय निविदादाताओं से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इस पूछताछ के प्रति प्राप्त दरें उच्च पाई गई और 30 अगस्त 1988 को यह निर्णय किया गया कि केवल फर्म "ख" के साथ बातचीत की जाए जिसे इस पूछताछ में न्यूनतम पाया गया थ। इसी बीच विश्व बैंक ने अपने दिनांक 25 अग्रस्त 1988 के टेलेक्स द्वारा वित्त मंत्रालय/ ओ.एण्ड एन.जी.सी. को सूचित किया कि यदि यह ठेका फर्म "क" को दिया जाता है तो बैंक परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए इच्छुक है और कर्जे का लाभ उठाने के लिए नियत तारीख बढ़ाकर 2 सितम्बर 1988 कर दी जाए। सरकार ने 28 मई 1987 को

खोली गई निविदा में फर्म "क" के प्रस्ताव पर विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण के अधीन फर्म "क" को ठेका देने के लिए ओ.एण्ड एन.जी.सी. को अपना निर्णय इस आधार पर सूचित किया कि सरकार क्रेडिट की हानि नहीं उठा सकती। तदनुसार फर्म "क" (ठेकेदार) को 2 सितम्बर 1988 को टेलेक्स आशय पत्र भेजा गया जिसमें दिसम्बर 1989 तक पूरा करने की तारीख निर्धारित थी।

2.4 उपर्युक्त से यह देखने में आएगा कि इसने तकनीकी निविदा खोलने की तारीख से ठेका देने की तारीख के बीच 30 महीने लगा दिए। परामर्शदाताओं और ओ.एण्ड एन.जी.सी. के बीच तकनीकी मामलों पर भी परस्पर विरोधी विचार थे। यद्यपि स्टीयरिंग समिति ने जुलाई 1987 में फर्म "ख" को ठेका देने का निर्णय किया जो निविदा सिमिति के मूल्यांकन और सिफारिशों पर आधारित था, इस निर्णय को विश्व बैंक के कहने पर इस आधार पर बदलना पड़ा कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण का लाभ उठाया जाना था। निविदा को अन्तिम रुप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामास्वरुप पूरा करने की विहित अवधि नवम्बर 1988 से बढ़कर एक वर्ष एक महीने बाद दिसम्बर 1989 हो गई।

3. एल पी जी के आयात के लिए सुविधा

3.1 1980 से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की मांग बढ़ती जा रही है। एल पी जी का देश में उत्पादन बहुत कम होता है और कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। वास्तविक आयात भी देश में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं द्वारा प्रतिबंधित है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू एल पी जी कनेक्शनों की बढ़ती हुई प्रतीक्षा सूची बन गई है जो मार्च 1991 के अन्त में 75 लाख से बढ़कर मार्च 1994 के अन्त में 114.17 लाख हो गई है एल पी जी के आयात के लिए सुविधाएं बढ़ाने के विचार से पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल उद्योग को ब्यौरेवार अध्ययनों को समन्वय करने (1986) तथा एल पी जी के आयात के लिए नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए समुचित स्थल का सुझाव देने का निदेश दिया। विचाराधीन विभिन्न विकल्पों में हजिरा में ओ एण्ड एन जी सी के प्रस्तावित एस बी एम के जरिए एल पी जी का आयात भी एक था।

3.2 इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात के लिए केनलाइजिंग एजेसी थी। तथापि एन जी एल के आयात के लिए एस बी एम स्थापित करने का प्रस्ताव ओ.एण्ड एन.जी.सी. द्वारा आरंभ किया गया। स्पष्टत:, ओ.एण्ड एन.जी.सी. के प्रस्ताव में एस बी एम के माध्यम से एल पी जी आयात करने की संभावना पर विचार नहीं किया गया। प्रारंभिक डिजाइन की अवस्था पर तेल उद्योग के लिए विशेषकर एल पी जी के आयात के लिए एस बी एम के संभावित प्रयोग के बारे में ओ.एण्ड एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. के बीच कोई समन्वय/ परामर्श नहीं था।

3.3 इंडियन आयल कारपोरेशन ने एस बी एम इस प्रकार प्रतिष्ठापित करने के लिए जुलाई/अक्तूबर 1987 में ओ एण्ड एन.जी.सी. को कहा ताकि एल पी जी के आयात में भी सुविधा हो। ते और प्रा.गै.नि ने पहले यह आपत्ति उठाई कि बीच में डिजाइन में परिवर्तन के कारण समय अनुसूची मे बाधा पहुचेगी किन्त बाद में यह सहमत हो गया (मार्च 1988) कि उसी ठेकेदार द्वारा एक ही समय पर एन जी एल और एल पी जी पाइप लाइन बिछाया जाना लाभप्रद होगा और आई.ओ.सी. से अनुरोध किया (मार्च 1988) कि आवश्यक संस्वीकृति प्रदान करे। एल पी जी के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए एस बी एम में आशोधन जारी करने पर आई ओ सी और एन जी सी, ई आई एल और ओ सी सी के बीच अनेक अवसरों पर बातचीत हुई। अन्ततः ओ एण्ड एन जी सी ने एल पी जी आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए एस बी एम में आशोधन शामिल किया (फरवरी 1989) और मई 1989 में 2.86करोड़ रु. के ठेका के लिए परिवर्तित आदेश जारी किया। किन्तु इससे पूरा करने की तारीख बढ़कर मई 1990 हो गई।

3.4 एल पी जी आयात संभाल सुविधा के लिए एस बी एम के सृजन की आवश्यकता के बारे में जुलाई 1987 में पता लगने पर सितम्बर 1988 में ठेकेदार को आशय पत्र देने से पूर्व डिजाइन में इस आवश्यकता को शामिल करने की शीघ्र कारवाई नहीं की गई।

4. गुजरात मैरिटाइम बोर्ड की भूमिका

4.1 हजिरा में एस बी एम का प्रतिष्ठापन और समुद्रतट पर पाइप लाइन बिछाने के काम का गुजरात मेरिटाइम बोर्ड (जी एम बी) द्वारा अनुमोदन आवश्यक था जो गुजरात सरकार का सांविधिक प्राधिकारी है। ओ.एण्ड एन.जी.सी.का प्रस्ताव और पाइप लाइन आदि के मार्ग जैसे अन्य तकनीकी विवरण जी एम बी एम द्वारा अप्रैल 1987 में अनुमोदित किए गए। तथापि अक्तूबर 1989 में जब एस.बी.एम. और पाइपों की अधिप्राप्ति,समुद्र तट पर पाइप लाइन आदि बिछाने सहित पर्याप्त कार्य पहले ही पूरे हो गए थे और 17.50 करोड़ रु.(ठेका विनियम दरों पर) व्यय हो चुका था, जी एम बी ने ते और प्रा.गै.नि.को पनडुब्बी पाइप लाइन बिछाने से संबंधित सभी कार्य रोकने के लिए इस आधार पर कहा कि ते. और प्रा.गै.नि.द्वारा नियोजित पाइप लाइन प्रस्तावित शिपिंग चेनल को पार कर रहा था। अप्रैल 1990 में जी.एम.बी.ने पाइप लाइन धसांने की गहराई, निकल ने वाली कीचड़ मिटटी का निपटान करने सुरक्षात्मक आवरण लगाने के संबंध में निम्नलिखित नई शर्तें लगाई:-

(क) निकलने वाली कीचड़ मिट्टी को दोनों ओर की बजाए 300 से 800 मीटर की दूरी पर और 300 मीटर के भीतर जैसा कि मूलत: निर्धारित था, पाइप लाइन से दक्षिण की ओर एक समान से फैलाया जाना था।

(ख) 9.7 और 9.9 कि.मी. के बीच जहां पाइप लाइन ने शिपिंग चैनल के आरेखण को पार किया था, पाइप लाइन को समुद्र तल से 2.5 मीटर नीचे बिछाना था।

(ग) इस स्थान पर पाइप लाइन को सुरक्षात्मक आवरण (चटाई) का प्रावधान किया जाना था।

4.2 जी एम बी के इस नए निर्णय से अचानक गतिरोध के कारण समस्त परियोजना अस्त व्यस्त हो गई जिस पर नीचे पैरागाफों में चर्चा की गई है। प्रस्तावित एस बी एम आरेखण आदि के लिए जी एम बी का अनुमोदन ओ एण्ड एन जी सी, ई आई एल और जी एम बी के बीच अनेक बार बातचीत के बाद अप्रैल 1987 में दिया गया। इसके बावजूद, जब कार्य का अधिकांश भाग पूरा हो गया था तो जी एम बी ने उपरोक्त मुद्दों को उठाया जिसका निविदा कागजात को अन्तिम रुप देने से पूर्ण निपटान किया जा सकता था।

5. ठेका का समापन

5.1 जी एम बी की शर्तों के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त कार्य/ आशोधनों के लिए ठेकेदार ने 23.19 करोड़ रु. अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (ठेका विनिमय दरों पर) की मांग की (जुलाई 1990)। किन्तु ई आई एल/ ओ.एण्ड एन.जी.सी. की 9.54/9.03 करोड़ रु. की अनुमानित राशि की तुलना में यह काफी अधिक पाया गया। विभिन्न विकल्पों के विश्लेषण के बाद ओ एण्ड एन जी सी इस निर्णय पर पहुंचा (सितम्बर 1990) कि ठेका समाप्त कर दिया जाए और जुलाई 1991 से पहले नई निविदा आमंत्रित करके मई 1992 तक शेष कार्य पूरा करा लिया जाए। अतिरिक्त कार्य सहित शेष कार्य को पूरा करने की लागत 31.0 करोड़ रु. (ठेका विनिमय दर पर) ई.आई एल द्वारा अनुमानित थी जबकि अनुमानित लागत 37.8 करोड़ रु. थी यदि यह कार्य विद्यमान ठेकेदार द्वारा पूरा किया जाता।

5.2 जनवरी 1991 में ठेका समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य के लिए जून 1991 में नई निविदाएं आमंत्रित की गई। न्यूनतम प्रस्ताव की मूल्यांकित लागत 57.30 करोड़ रु. के अनुमान (सितम्बर 1991) के प्रति 111.87 करोड़ रु. थी। चूंकि परियोजना का संशोधित अनुमान (भण्डारण की लागत और सामग्री का रखरखाव, सीमा शुल्क और परामर्शी तथा प्रबन्ध प्रभार सहित किन्तु ठेके के समापन के लिए ठेकेदार द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति को छोड़कर) 152 करोड़ रु. था अतः निविदा पर आगे कारवाई नहीं की गई और स्टीयरिंग समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 1991) कि एस बी एम सुविधा की आवश्यकता पर पुनः ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.3 ठेका समाप्त करते समय ओ एण्ड एन जी सी ने निम्नलिखित पहलुओं के परिमाण का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया:-

- ठेकेदार को देय क्षतिपूर्ति 1.63 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति (ठेका विनमय दरों पर) जो ओ.एण्ड एन.जी.सी. द्वारा ठेका समाप्त करने पर भुगतान योग्य निर्धारित की गई थी, के प्रति ठेकेदार ने 59.4 करोड़ रु. (ठेका विनिमय दरों पर) का दावा प्रस्तुत किया जो पंच निर्णय के अधीन है।
- ठेकेदार द्वारा अधिप्राप्त सामानों पर देय सीमा शुल्क/ निर्यात के लिए मानी गई शर्तें जिनके अनुसार ठेकेदार द्वारा सामान की अधिप्रप्ति की गई थी, ठेका के समाप्त होने के बाद लागू नहीं थी। वास्तव में 760 करोड़ रु. सीमा शुल्क का भुगतान किया गया ।
- बढ़ाया गया भण्डारण बीमा और पहले ही अधिप्राप्त और विदेश भारत में रखी गई सामग्रियों पर देय परिवहन प्रभार।

ओ एण्ड एन जी सी कांडला पत्तन तक रेल/सड़क से तेल उद्योग द्वारा एन जी एल के संचलन पर निरन्तर अतिरिक्त व्यय (नीचे पैरा में चर्चा की गई है) को भी अनेदखी कर दिया ।

ई आई एल/ ओ एण्ड एन जी सी ने शेष कार्य पूरा करने की लागत का भी काफी कम अनुमान लगाया।

5.4 एल पी जी के लिए आयात सुविधा के लिए तेल उद्योग की तत्काल आवश्यकता भी ठेका के समाप्त होने के समय ध्यान में नहीं रखी गई। ओ एण्ड एन जी सी द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार यदि विद्यमान ठेका जिसके अधीन समुद्र तट के कार्य का पर्याप्त भाग तथा एस .बी. एम. की अधिप्राप्ति और पाइप लाइन का पर्याप्त भाग पूरा हो गया था, को चालू रखा जाता तो समस्त परियोजना नवम्बर 1991 तक 85 करोड़ रु. की लागत से पूरी हो जाती (सितम्बर 1991 का मूल्य)।

5.5 यदि परियोजना समय पर पूरी हो गई होती तो जो आर्थिक लाभ होता उसका विश्लेषण ठेका समाप्त करते समय नहीं किया ग्रया। जब ठेका समाप्त करने का निर्णय लिया गया उस समय ओ एण्ड एन.जी.सी. (अधिशासी एजेन्सी), आई ओ सी (प्रयोक्ता) और ओ सी सी (उद्योग समन्वयक)के बीच परस्पर बातचीत नहीं हुई। जबकि आई ओ सी और ओ सी सी जो अन्तिम लाभभोगी थे, इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे, ओ एण्ड एन जी सी ने विद्यमान एजेन्सी की तुलना में नई एजेन्सी के माध्यम से परियोजना पूरी करने की लागत का अनुमान लगाया जो बाद में पूरी तरह अवास्तविक साबित हुआ।

6. परियोजना का परित्याग

6.1 परियोजना की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बाद में एस बी एम की आवश्यकता पर ओ एण्ड एन जी सी, आई ओ एल और ओ सी सी तथा मंत्रालय के बीच अनेक बैठकों में बातचीत हुई। जनवरी 1992 में हुई एक बैठक में यह पाया गया कि कांडला से उत्तर पश्चिम तक किरोसीन और डीजल जैसे कमी वाले उत्पादों की मांग में वृद्धि और परिणामतः आन्तरिक संचलन में वृद्धि के साथ कांडला के माध्यम से एन जी एल के निरन्तर संचलन पर बैक करना संभव नहीं होगा। यह भी पाया गया कि ते.और प्रा.गै.नि द्वारा किरोसीन रिकवरी यूनिट स्थापित किए जाने के साथ ही (एन जी एल से किरोसीन निकालने के लिए ते .और प्रा.गै.नि. द्वारा कार्यन्वित एक परियोजना) और हजिरा में एक प्राइवेट पार्टी द्वारा नेफ्था या एन जी एल जैसे तरल ईंधन से पेट्रोरसायन के उत्पादन के लिए एक क्रेकर के साथ ही निर्यात के लिए फालतू एन जी एल उपलब्ध नहीं होगा। किन्तु साथ ही यह ध्यान में आया कि चूंकि उपलब्ध एन जी एल प्राइवेट पार्टी के क्रेकर आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, अपेक्षित शेष नेफ्था के आयात के लिए एस बी एम का उपयोग किया जा सकता है। इन सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए सचिव (पेट्रोलियम) ने इच्छा व्यक्त की (जनवरी 1992) कि ओ एण्ड एन जी सी, आई ओ एल/ओ सी सी द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखकर दुबारा अध्ययन किया जाना चाहिए:-

(क) एस बी.एम के लिए लागत का नवीनतम निर्धारण

(ख) विभिन्न सुविधाओं अर्थात हाजिरा एस.बी.एम, ते.और प्रा.गै.नि की किरोसीन निकालने वाली यूनिट और पेट्रोरसायन क्रेकर परिसर को चालू करने के लिए यथार्थ समय अनुसूची।

6.2 जनवरी 1992 में ओ सी सी द्वारा एक एक अधतन टिप्पणी तैयार की गई। यह कहा गया कि एस बी.एम सुविधाएं स्थापित करने की अनुमानित लागत बढ़कर 201.9 करोड़ रु. हो गई है (मई 1994 में पूरा करने पर) जिसमें समाप्त ठेका के दावों को हिसाब में नहीं लिया गया है जो पंचनिर्णय के अधीन है। यह भी कहा गया कि चूंकि यह आशा थी कि ओ एण्ड एन जी सी की तेल निकालने वाली यूनिट और प्राइवेट पार्टी की प्रेट्रो रसायन क्रेकर क्रमशः जनवरी 1995 और अप्रैल 1995 में चालू हो जाएंगी इसलिए समय कम था जबकि एस बी एम को एन जी एल के निर्यात के लिए प्रयोग किया जा सकता था और इसलिए निवेश आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं मालूम हुआ। तथापि 1 मई 1992 को हुई एक बैठक में ओ सी सी ने कहा कि यदि क्रेकर के लिए नेफ्था के आयात की आवश्यकता हुई तो एस बी एम की आवश्यकता पड़ेगी।विस्तार में बातचीत के बाद मंत्रालय ने निर्णय किया (मई 1992) कि ओ सी सी, आई ओ सी और ओ एण्ड एन जी सी को चाहिए कि वे

अपनी रिपोर्ट को परिष्कृत करें ताकि हाजिरा में बाद में आयात/निर्यात की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए एस बी एम की आवश्यकता के बारे में असंदिग्ध और विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए जा सके।

6.3 अक्तूबर 1992 में भा.ते.नि. ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया कि औचित्य के आधार पर एल पी जी के आयात की आवश्यकता, अन्य पत्तनों पर भीड़ भाड़ कम करने, प्रस्तावित क्रेकर की कमी पूरी करने के लिए नेफ्था के आयात और क्रेकर संयन्त्र बन्द होने की स्थिति में एन जी एल खाली करना आदि को ध्यान में रखते हुए हाजिरा में एस बी एम आवश्यक था।

6.4 अगली उच्च स्तरीय बैठक अप्रैल 1993 में हुई। मंत्रालय के सचिव द्वारा यह कहा गया कि लघु कम्पनी को आधार बनाकर मत लेने की बजाए राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर व्यापक मुद्दों पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए और इस प्रकार बात चीत ऐसे मुद्दों तक ही सीमित होनी चाहिए। तथापि सचिव ने कहा कि एस बी एम का निर्णय केवल प्राइवेट पार्टी की आवश्यकताएं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि ओ सी सी दो सप्ताहों के भीतर यह आकलन करेगा कि क्या परियोजना व्यवहार्य हे जिसके कार्यान्वयन के लिए ते. और प्रा.गै.नि. द्वारा दी गई समय सीमा को ध्यान में रखा जाएगा।

6.5 ओ सी सी, ओ एण्ड एन जी सी और ओ आई सी द्वारा संयुक्त रुप से तैयार की गई अन्तिम रिपोर्ट मई 1993 में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार:-

(क) परियोजना की कुल लागत अब 170 करोड़ रु. होगी। इसमें पंच निर्णय के अधीन दावे शामिल नहीं है या उसे शामिल करके 250 करोड़ रु.।

(ख) ओ एण्ड एन जी सी के अनुसार एस बी एम और उससे संबंधित क्रियाकलापों का प्रतिष्ठापन 1995 का मानसून आरंभ होने से पूर्व किया जा सकता था बशर्ते कि निविदा आमंत्रित करने के लिए तुरन्त सिद्धान्त रुप में अनुमोदन दे दिया जाता और पी आई बी/ सी सी इ ए से अनुमोदन जुलाई 1994 तक प्राप्त हो जाता।

(ग) ओ एण्ड एन जी सी के के.आर.यू.तथा प्राइवेट पार्टी के क्रैकर चालू किए जाने तक एन जी एल का निर्यात जारी रखना था। यह आशा थी कि के.आर.यू.और क्रैकर दोनों 1995-96 में चालू हो जाएंगे। चूंकि क्रैकर के लिए नेफ्था की कुल आवश्यकता एन जी एल से किरोसिन निकालने के बाद उपलब्ध नेफ्था की अपेक्षा अधिक होने की आशा थी, आवश्यकता पूरी करने के लिए एस बी एम के माध्यम से समुद्र तट आयात को हजिरा में भेजने के कारण कमी की गुंजाइश थी।

(घ) हजिरा में एल पी जी के संभाल के लिए आई ओ सी ने 1991 में आयात सुविधाएं स्थापित करना विहित किया था। बाद में यह पाया गया कि कांडला में ऐसी ही क्षमता की सुविधाएं स्थापित करना अधिक व्यवहार्य था और कांडला में सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन अब प्राप्त हो गया था। तथापि अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान करके एस बी एम के माध्यम से हजिरा में एल पी जी के लगभग 300 टी एम टी पी ए का आयात करना व्यवहार्य था।

(ड.) विभिन्न स्थलों पर एस बी एम परियोजना का आई आर आर अधिक आकर्षक पाया गया।

(च) एल पी जी, नेफ्था और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/ विपणन में सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन किया गया था। एल पी जी और किरोसिन के समानान्तर विपणन के लिए प्राइवेट पार्टी को अनुमति दी गई थी। हजिरा में एल पी जी की आत्यधिक मात्रा के आयात के लिए प्राइवेट पार्टियों को सुविधाएं स्थापित करनी थी और इस प्रकार हजिरा में लोकक्षेत्र के उपक्रमों के लिए एल पी जी के लिए आयात सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक नही होगा। इस प्रकार एक ही स्थान पर एल पी जी का अत्यधिक भाग स्थित होगा। यह संभव हो सकता है कि प्राइवेट पार्टी की क्रैकर यूनिट इस एस बी एम के माध्यम से लोक क्षेत्र के उपक्रमों से नेफ्था नहीं भी ले सकती है क्योंकि वे स्वयं ही शोधन शाला स्थापित कर लेंगे।

(छ) एस बी एम स्थापित करने की उच्च लागत और सरकार की उदारीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए जिसमें फीडस्टाक/ ईधन के वैकल्पिक सस्ते स्रोत उपलब्ध होंगे यह निर्णय लिया गया कि हजिरा में उस समय एस बी एम स्थापित करने का प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से आकर्षक नहीं था।

6.6 अन्ततः एस बी एम परियोजना बीच में ही रोक दी गई। परियोजना को बीच में रोक देने के फलस्वरुप पहले पूरा किए गए कार्य पर मार्च 1995 तक 38.88 करोड़ रु. का निवेश निरर्थक हो गया (अनुबन्ध I)। साथ ही ठेकेदार ने ठेका समाप्त करने के लिए ठेका विनिमय दर पर 59.4 करोड़ रु. का अतिरिक्त दावा किया (मई 1993 में लागू विनियम दर पर 80 करोड़ रु.) जो पंच निर्णय के अधीन था। हालांकि प्रबन्धन ने अक्तूबर 1993 में बताया कि जैसे है वैसी स्थिति के आधार पर एस बी एन बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन था, इस संबंध में कोई ठोस विकास नहीं हुआ।

7 एन जी एल के परिवहन पर व्यय

7.1 हजिरा में एस बी एम स्थापित न करने का तत्काल परिणाम यह हुआ कि हजिरा से कांडला तक निर्यात के लिए एन जी एल के परिवहन के लिए राज कोष पर अतिरिक्त व्यय का बोझ पड़ा। कांडला के माध्यम से निर्यात के लिए हजिरा परियोजना पर उत्पादित एन जी एल के परिवहन के लिए ओ सी सी के अनुसार तेल उद्योग को भाड़ा हानि, पार्सल आकार, चल प्रभारों पर रु. 600/- प्रति टन अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। दिसम्बर 1988 (एस बी एम चालू करने की अनुसूचित तारीख पी आई बी के अनुमोदन के अनुसार नवम्बर 1988 थी) से जून 1995 के बीच 41.56 लाख टन वास्तविक मात्रा एन जी एल के निर्यात के लिए कांडला तक परिवहन पर तेल उद्योग द्वारा किया गया परिहार्य व्यय 250.56 करोड़ रु. निकाला गया (लगभग) (अनुबन्ध II)। एस बी एम सुविधाओं के अभाव में आज कांडला तक एस बी एम भेजा जा रहा है। परिवहन पर अतिरिक्त व्यय के अतिरिक्त पहले से भीड़ वाले कांडला पत्तन पर विद्यमान अवरोध भी बढ़ गया। सड़क/रेल द्वारा एन जी एल का अतिरिक्त परिवहन जोखिम भरा है।

8. **प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर**

8.1 ओ एण्ड एन जी सी के प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 1994) कि एस बी एम के निष्पादन में विलम्ब और अन्ततः एस बी एम की आवश्यकतता में गिरावट आई ओ सी, जी एम बी और विश्व बैंक जैसी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा समय समय पर अद्भूत आवश्यकताओं के कारण हुई। प्रबन्धन ने यह भी बताया कि यदि एल पी जी के आयात के लिए आई ओ सी की आवश्यकता शामिल करने का निर्णय बाद में नहीं लिया जाता तो एस बी एम सुविधाएं जी एम बी द्वारा अक्तूबर 1989 में फलका लागू किए जाने तक ठेकागत मूल लागत के भीतर पूरी होने के निकट पहुंच जाती।

8.2 ओ एण्ड एन जी सी का उत्तर भेजते समय मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1994) कि समग्र लाभ और उसी एस बी एम द्वारा एल पी जी और एन जी एल दोनों के संभाल में लचीलापन को ध्यान में रखते हुए एल पी जी के उतराई के लिए सुविधाएं शामिल करके मूल परियोजना में आशोधन करने का निर्णय किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब मुख्यतः उप समुद्रीय पाइप लाइनों के मार्ग पर जी एम बी द्वारा लिए गए निर्णय के कारण हुआ जिसकी उन्होंने पहले ही अनुमति दे रखी थी। भाड़ा पर अतिरिक्त व्यय के कारण तेल उद्योग को हुई हानि के बारे में मंत्रालय ने बताया कि एन जी एल का निर्यात मूल्य तेल उद्योग द्वारा ओ एण्ड एन जी सी को प्रदत्त मूल्य की अपेक्षा अधिक था और इस प्रकार तेल उद्योग को कोई हानि नहीं हुई। किन्तु भाड़ा की अत्यधिक लागत द्वारा लाभ का मुजरा हो गया जो हजिरा में एस बी एम की अनुपलब्धता के कारण उत्पाद को खाली करने के लिए किया गया।

8.2 प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसने निविदा को अन्तिम रुप देने में ढ़ाई वर्ष लगा दिए। विश्व बैंक द्वारा निविदा के मूल्यांकन में गलती पाई गई थी और अन्त में ओ एण्ड एन जी सी के पहले का मूल्यांकन भी स्टीयरिंग समिति द्वारा गलत पाया गया। विलम्ब से एस बी एम के डिजाइन में आई ओ सी की आवश्यकता शामिल करने के बारे में यह मात्र समन्वय के अभाव के कारण था क्योंकि भा.ते.नि.की आवश्यक की ठेकेदार को ठेका देने से पूर्व जानकारी थी।

8.4 मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यदि हाजिरा में एस बी एम प्रतिष्ठापित किया जाता तो एन जी एल के सड़क/रेल द्वारा हाजिरा से कांडला तक परिवहन पर भाड़ा पर व्यय नहीं होता। यदि निविदा को अन्तिम रुप देने और एल पी जी के आयात की आवश्यकताओं को अन्तिम रुप देने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होता तो जी एम बी द्वारा निर्णय में परिवर्तन किए जाने से पूर्व परियोजना पूरी हो गई होती। मंत्रालय ने जी एम बी द्वारा फलका लागू करने के कारण हुई रुकावट पर शीघ्र कारवाई नहीं थी।

9. दीर्घ कालिक प्रभाव

9.1 एस बी एम स्थापित न करने का दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात हेतु लोक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पर्याप्त सुविधा की कमी है और यह बराबर बढ़ती जा रही है। एक एस बी एम की आवश्यकता सर्वदा थी भले ही वह कांडला पत्तन पर भारी भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए एम जी एल के निर्यात के लिए रही हो अथवा एक या अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात ओर पारिणामिक विलम्ब शुल्क के लिए हो। लोक क्षेत्र के उपक्रम पहले से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात में विलम्ब शुल्क का काफी भुगतान कर रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान केवल भा.ते.नि द्वारा विलम्ब शुल्क पर किया गया व्यय नीचे दिया जाता है:-

(करोड़ रु. में)

	विलम्ब शुल्क की राशि		
	आयात	निर्यात	जोड़
1992-93	70.69	11.49	82.18
1993-94	86.73	11.81	98.54
1994-95	200.10	9.85	209.95

यदि एस बी एम की स्थापना हो जाती तो इससे विलम्ब शुल्क और प्रत्तन पर भीड़ कम हो जाती । इन पहलुओं के आर्थिक लाभ को उस समय ध्यान में नहीं रखा गया जब परियोजना को मई 1993 में बीच में पूरी तरह रोक दिया गया।

9.2 यह ध्यान देने योग्य है कि बाद में प्राइवेट पार्टी जो क्रैकर परियोजना स्थापित कर रही थी, ने लगभग उसी स्थल पर एस बी एम को प्रतिष्ठापित किया। यद्यपि 1993 में यह अपेक्षा की गई थी कि आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की किरोसिन रिकवरी यूनिट परियोजना जनवरी 1995 से कार्य करना आरंभ कर देगी, किन्तु अभी तक परियोजना चालू नहीं हुई (अक्तूबर 1995) और यह आशा है कि 1996 के मध्य तक यह चालू होगी। इसी प्रकार प्राइवेट पार्टी की क्रैकर यूनिट जो अप्रैल 1995 में चालू करने के लिए अनुसूचित थी, अभी तक चालू नहीं की गई (अक्तूबर 1995)। इसके अतिरिक्त एन जी एल उठाने के लिए ओ एण्ड एन जी सी और प्राइवेट पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं किया गया है। इस प्रकार देश के भीतर एन जी एल की मांग अभी भी बढ़नी थी। इसके परिणामस्वरुप कांड़ला तक एन जी एल के परिवहन पर व्यय जैसाकि ऊपर दिया गया है, आज भी हो रहा है (अक्तूबर 1995)। ध्यान देने योग्य है कि कांडला पत्तन पर भारी भीड़ को

ध्यान में रखते हुए सरकार ने एन जी एल के निर्यात और डीजल के आयात के लिए हजिरा में पाइवेट पार्टी के एस बी एम के उपयोग का आई ओ सी का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया(जून 1995) और एन जी एल तथा डीजल का अनुमानित वार्षिक श्रुपुट क्रमश 0.9 मिलियन टन और एक मिलियन टन है। वाणिज्यिक शर्तों पर बातचीत हो रही है। यदि हजिरा में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का एस बी एम प्रतिष्ठापित हो जाता तो लोक क्षेत्र के उपक्रम की एन जी एल के निर्यात और हाजिरा में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए प्राइवेट पार्टी की सुविधाओं पर निर्भरता समाप्त हो जाती।

10. संक्षेपण

10.1 आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड की एकल नौबंध बांध प्लव संकेतक में आरंभ से ही तात्कालिकता और दूरदर्शिता का अभाव था। निविदा को अन्तिम रुप देने में विलम्ब और एस बी एम के माध्यम से द्वीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने की भारतीय तेल निगम की आवश्यकता शामिल करने में चूक जो सितम्बर 1988 में ठेकेदार को आशय पत्र देने से पहले जुलाई 1987 में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड को ज्ञात थी, के कारण परियोजना पूरी करने की निर्धारित तारीख को 28 महीने स्थगित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जी एम बी द्वारा एस बी एम परियोजना के आरंभिक अनुमोदन के समय गुजरात मैरिटाइम के साथ पनडुब्बी पाइप लाइन बिछाने की सभी शर्तों का पता लगाने में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड की अक्षमता के परिणामस्वरुप ठेका समाप्त करना पड़ा- यह कार्रवाई सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन किए बिना और आर्थिक लाभ जो समय पर परियोजना पूरी होने पर उद्भूत होता, को ध्यान में रखे बिना की गई और अन्ततः परियोजना का परित्याग करना पड़ा। इससे परियोजना पर किया गया 38.88 करोड़ रु. का व्यय निष्फल हो गया। हजिरा में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात/ आयात के लिए सुविधा के अभाव में तेल उद्योग को निर्यात के लिए हजिरा से कांडला तक एन जी एल के परिवहन पर (दिसम्बर 1988 से जून 1995 के बीच 250.56 करोड़ रु.) और विलम्ब शुल्क पर (209.95 करोड़ रु. केवल 1994-95 में भा.ते.नि. द्वारा) काफी व्यय करना पड़ा क्योकि पत्तन पर पर्याप्त सुविधा का अभाव था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब इंडियन आयल कारपोरेशन को सरकार द्वारा यह अनुमित दे दी गई है कि वह उस प्राइवेट पार्टी

के साथ बात चीत करे जिसने लगभग उसी स्थल पर अपना एस बी एम स्थापित कर रखा है ताकि एन जी एल के निर्यात के लिए और डीजल के आयात के लिए उनके एस बी एम का प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है जहां उचित समन्वय, निर्णय एवं दूरदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप राजकोष की लागत पर निजी क्षेत्र को लाभ हुआ।

बीरेन्द्र प्रसाद माथुर

नई दिल्ली
दिनांक 04 MAR 199

(बीरेन्द्र प्रसाद माथुर)
उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली 04 MAR 199
दिनांक

(सि. जि. सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध I

(देखें पैराग्राफ 6.6)

31.3.1995 तक एस बी एम परियोजना पर किया गया व्यय

क्रम सं.	विवरण	(करोड़ रु. में)
क. सामग्री की लागत		
1.	मेसर्स एल एम ई (I) को भुगतान	24.75
2.	एस बी एम, सहायक पुर्जो और होसेज (मेसर्स सोफेड) के भण्डारण, अनुरक्षण, जांच और लदान के लिए भुगतान	1.09
3.	बीमा	0.55
4.	सीमा शुल्क	7.60
5.	सर्वेक्षण, एडवोकेट्स तथा ई आई एल परामर्श	0.87
6.	लाइन पाइपों का परिवहन	2.12
7.	आबूधाबी से बम्बई तक एस बी एम व होसेज का परिवहन (एन पी आइ एल)	0.48
8.	लैण्डलाइन की हाइड्रो टेस्टिंग	0.17
9.	ऊपरी व्यय	0.23
	उप जोड़	37.86
ख. भण्डारण प्रभार		
1.	शारजाह में लाइन पाइपों के भण्डारण और अनुरक्षण के लिए भुगतान (मैसर्स ब्रेडेरो प्राइस)	0.70
2	मेसर्स एन पी आई एल बम्बई में एस बी एम, का भण्डारण	0.26
3.	कांडला में लाइन पाइपों का भण्डारण (23.8.95 तक)	0.40
4.	एस बी एम सामग्री का समय समय पर अनुरक्षण (1994)	0.01
	उप जोड़	1.01

ग. लम्बित भुगतान

1.	बम्बई में भण्डारण (मार्च 1995 के लिए 93000 रु. प्रतिमाह की दर पर)	0.01
	उप जोड़	0.01
	कुल जोड़	38.88

टिप्पणी:-

1. सामग्री बेचे जाने तक प्रत्याशित अतिरिक्त व्यय निम्नलिखित है:-

(क) बम्बई मे एस बी एम के लिए भण्डारण प्रभार 93000रु. प्रति माह की दर पर

(ख) एस बी एम सामग्री के लिए आवधिक अनुरक्षण प्रभार 3500 रु. प्रति प्रचालन की दर पर

(ग) कांडला में लाइन पाइपों के लिए भण्डारण प्रभार 10,995 रु. प्रति माह की दर पर

(घ.) कांडला/ हाजिरा में लाइन पाइपों के अनुरक्षण पर विचार नहीं किया गया। बेचने में विलम्ब होने पर अनुरक्षण अपेक्षित हो सकता है।

(ड.) 31.03.1995 तक पंच निर्णय के लिए एडवोकेट की फीस आदि पर विचार किया गया।

2. इसमें ब्याज ओर अनुषंगिक प्रभार शामिल नहीं है।

अनुबन्ध II

(देखें पैरा ग्राफ 7.1)

हाजिरा से कांडला तक एन जी एल के परिवहन पर 600 का प्रति टन की दर पर किया गया परिहार्य व्यय

वर्ष	मात्रा	राशि
	मीटर टन में	(करोड़ रु. में)
जनवरी 1989 से		
मार्च 1989 तक	0.059	3.54
1989-90	0.446	26.76
1990-91	0.598	35.88
1991-92	0.670	40.20
1992-93	0.889	53.34
1993-94	0.782	46.92
1994-95	0.585	35.10
1995-96 (जून 95 तक)	0.147	8.82
		250.56

टिप्पणी :- दिसम्बर 1988 में कोई निर्यात नहीं हुआ।

No. 23 of 1995

शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
3	नीचे से 4	सिफारिश की ।	सिफारिश की (फरवरी 1987)।
3	नीचे से 3	कहा कि	कहा (मार्च 1987) कि
4	नीचे से 5	के प्रति	के प्रति (विश्व बैंक निधि के बिना)
13	6	आकर्षक पाया	आकर्षक नहीं पाया
13	नीचे से 3	दावा किया	दावा (अक्तूबर 1991) किया
21	नीचे से 6	एस बी एम का	एस बी एम. होसेज और सहायक पुर्जों का।